



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 2004/माघ 15, 1925

No. 130]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 2004/MAGHA 15, 1925

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2004
(आयकर)

का.आ. 159(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3(ii) में दिनांक 31 जुलाई, 2001 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना का.आ. सं. 733(अ), समय-समय पर यथा-संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः :—

(1) उक्त अधिसूचना की अनुसूची-1 में, क्रम संख्या 3 एवं 7 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः :—

अनुसूची-1

क्रम सं.	आयकर प्राधिकारियों के पदनाम	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली-III	दिल्ली	(i) आयकर आयुक्त, दिल्ली-III (ii) आयकर आयुक्त, (टी.डी.एस.), दिल्ली
7.	मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली-VII	दिल्ली	(i) आयकर आयुक्त, दिल्ली-VII

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 39/2004/फा. सं. 187/1/2004-आयकर नि.-I]

देवी शरण सिंह, अवर सचिव